

01/09/2012

तारीख
हुक्म

हुक्म या कार्यवाही मय इतिशियत्य जज

05/3/14

दोनों पक्षों के वकील अनुपस्थित।
द्वारा सूचना का निलाका हो गया।
है। केवल खान के आवेदन - पर
आगे चलाने का कोर्ट परीत नहीं
करता है।

खाना पाना का आवेदन -
पर इली खान पर खारिज किया
जाता है।

पत्रावली के माध्यम से
कार्रवाई चलाने से।


सहायक कमिश्नर
(S.D.O.) बालोतरा

.....
.....
.....